न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/2008 दिनांक 07/09/22

प्रार्थी :-

1.पेमाराम पुत्र तिलाराम, जाति जाट
निवासी लखवारा, तहसील चौहटन

विप्रार्थीगण:-

1. नारणाराम पुत्र सोनाराम 2.सोनाराम पुत्र तेजाराम 3.भालाराम पुत्र निम्बाराम 4.पुरखा 5.ठाकरा पि. पनाराम 6.रामाराम पुत्र रेखाराम 7.पूनमाराम पुत्र किरताराम, जाति जाट
निवासी लखवारा, तहसील चौहटन,जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 21/2019 दिनांक : **07.09.2022**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन पटवार क्षेत्र आंटिया के मौजा लखवारा के खेत खसरा सं. 374/194 रकबा 11.05 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे |

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2022/2009 to 2012 दिनांक 07/09/22

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण पेमाराम
3. विप्रार्थीगण नारणाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन जिला बाड़मेर/ प्रभारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:38:48 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन